राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

केयर टेकर शाखा

मैसर्स / श्री..

....

....

विषय :— निगम मुख्यालय स्थित कैन्टीन को लाईसेंस पर (किराये पर) संचालन हेतु दिये जाने हेतु।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि निगम मुख्यालय परिसर स्थित कैन्टीन को संचालन हेतु एक वर्ष के लिए लाईसेंस फीस (किराये पर) पर दिया जाना है। इस हेतु यदि आप इच्छुक हो तो इस पत्र के साथ संलग्न बोली प्रपत्र में आप द्वारा प्रस्तावित लाइसेंस फीस प्रतिमाह (किराया राशि प्रतिमाह जो आप द्वारा दी जानी प्रस्तावित है) एवं प्रपत्र के अनुसार अन्य वांछित जानकारी भरकर सीलबंद लिफाफे में रखकर इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2020 को 15.00 बजे तक प्रेषित कराने का श्रम करावें :—

नोट :—

1. बोली प्रपत्र के लिये बोली प्रपत्र शुल्क राशि 200/— रूपये नगद रसीद अथवा डी. डी. जो वित्तीय सलाहकार रा.रा.प.प. निगम के पक्ष में देय हो के द्वारा निगम कोष में जमा कराने होगें,जिसकी प्रति बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. बोली प्रस्तुत कर्ता को 5,000/— रूपये की डी.डी जो वितीय सलाहकार,रा.रा.प.प. निगम के पक्ष में देय हो अथवा निगम कोष में नगद जमा की रसीद बतौर अमानत राशी बोली प्रपत्रो के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बिना बोली प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. प्रस्तावित लाइसेंस फीस पर नियमानुसार GST की राशि भी प्रतिमाह लाइसेंस फीस के साथ ही जमा करानी होगी।

4. जिस फर्म/संस्था/व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया जावेगा उसे प्रस्तावित/स्वीकृत लाईसेंस फीस के तीन गुना राशि (तीन माह की लाईसेंस फीस) बतौर सुरक्षा राशि निगम कोष में अनुबंध पत्र संपादन के 7 दिवस के भीतर जमा करानी आवश्यक है। अथवा उक्त राशि की डी. डी. जो वित्तीय सलाहकार रा.रा.प.प. निगम के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. जिस फर्म/संस्था/व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया जावेगा उन्हे 500/— रू0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र सम्पादित किया जाना होगा।

6. इस पत्र के साथ बोली प्रपत्र एवं कैन्टीन संचालन सबंधी बोली प्रपत्र एवं शर्ते संलग्न है । उन्हें अच्छी तरह से पढकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए लिफाफे में रखकर सीलबंद कर निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (बोली प्रपत्र एवं शर्ते)

कार्यकारी प्रबंधक (केयर टेकर)

(2)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर

बोली – प्रपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय परिसर स्थित केन्टीन के आवंटन हेतु बोली प्रपत्र(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)

बोली प्रपत्र संख्या- एफ/मु./के.टे./2020/ दिनांकः–

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पताः– ....
....
....
2. टेलीफोन नम्ब कार्यालय..

   निवास ....
3. बोली शुल्क राशि 200/–रूपये जमा की रसीद संख्या/डी.डी.संख्या.....................दिनांक.......................
4. अमानत राशि 5,000/– रू. की रशीद संख्या/डी.डी संख्या.....................................दिनांक........................
5. ई.मेल. नम्बर ....
6. व्यवसायिक अनुभव व उसका विवरण..
7. प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क प्रतिमाह राशि रु. में..
8. निगम में अन्य आगार कार्यलय/बस स्टेण्ड..
   पर पुर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ तो उसका विवरण..
....
9. फर्म /संस्था/व्यक्ति का बैंक खाता संख्या..
   बैंक का नाम,एवं बैंक का पता..
10. बोली प्रस्तुतकर्ता फर्म/संस्था/व्यक्ति की..
    चल व अचल सम्पति का विवरण,सत्यापित..
    फोटो प्रति संलग्न करें..
11. अन्य विवरण..
....

हस्ताक्षर बोली प्रस्तुतकर्ता
नाम/मय पत्र/हेसियत/ मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर

बोली की शर्ते

कैंटीन/स्टाल/बूथ के आवंटन/संचालन की बोली शर्ते निम्न है :—

1. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/खाली स्थान लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जाऐगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं होनी/संतोषजनक सेवाए रहने पर लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवृति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/— रूपये से कम है, उन स्टालों की लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेसं फीस 50,000/— रू0 अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों की लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा।उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली बोली आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा—निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने पर लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान / स्टाल / बूथ खाली कर कब्जा संभलाना पडेगा।
2. लाईसेंस पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेंसी को 500/— रू0 के भारतीय गैर न्यायिक स्टॉम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबंध करना होगा।
3. लाईसेंस पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान करने की स्थिति में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करेंगे —
    1. चाय, काफी, दूध, लस्सी आदि
    2. कचौडी, समोसा, ब्रेड, पकोडा आदि
    3. मिठाई, बिस्कुट बेकरी सामान आदि
    4. भोजन व्यवस्था
5. लाईसेंस आवंटित होने पर लाईसेंसी को सात दिवस में तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा राशि की बैंक डी डी/बैंकर्स चैक निगम कोष मे जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर लाईसेंस रदद कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को लाईसेंस आवंटन किया जा सकेगा।
6. लाईसेंसी मासिक लाईसेंस फीस के प्रति (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख तक देय होंगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेंस फीस जमा नहीं कराने अथवा लाईसेंस की किसी शर्ते की पालना करने में असमर्थ रहने पर निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा 48 घण्टे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा। लाईसेंस निरस्त करने/वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घण्टे में खाली कर उसक कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और कैन्टीन के ताला लगा दिया जावेगा।
7. बिजली का मीटर लगा हुआ है जिसके अनुसार प्रति माह उपभोग यूनिट का भुगतान लाईसेंसी द्वारा अतिरिक्त किया जावेगा। पानी निःशुल्क रहेगा।

8. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेंसी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस, गुटके, बीडी, सिगरेट व सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।

9. लाईसेंसी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।

10. लाईसेंसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थो की मूल्य सूची अनुमोदन कराकर दुकान/ स्टाल पर लगायेगा जिसे कर्मचारी/ग्राहक सुगमता से पढ सके। लाईसेंसी आवंटित दुकान/स्टाल मे किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।

11. निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिवस का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

12. यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसको कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जासकेगा।

14. अनुबंध के कियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के सबंध में दोनो पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले क निपटारे के लिए दोनो पक्ष विवाद का निपटारा निगम मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी में करवाने पर सहमत होगें जिसका निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे।

15. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

16. लाईसेंसी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से बकाया राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेंसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा पुनः निगम कोष मे जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर अधिकारी द्वारा लाईसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म/व्यक्ति को लाईसेंस देने का अधिकार होगा।

17. लाईसेंसी द्वारा निगम से समय समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा, पालन नहीं करने पर लाईसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।

18. दुकान/स्टाल/बूथ पर गुणवता पदार्थो का ही विक्रय किया जा सकेगा।

19. लाईसेंसी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर यदि सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेंसी द्वारा सीधे ही संबंधित विभाग मे जमा कराया जावेगा।

20. यदि बोलीदाता के बोली प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो बोलीदाता को लाईसेस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे :

1. बोलीदाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति।
2. बोलीदाता के नाम पते व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र /वर्तमान ड्राईविंग लाइसेंस/आधार कार्ड, पेन कार्ड, इनकम टेक्स रिर्टन की प्रमाणित फोटो प्रति)
3. बोलीदाता अथवा बोली दाता के गारंटर को 100/– रू0 के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति,वह अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।

21. बोली प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में प्रेषित किये जाने होगें।
22. बोली प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा मे होगे तथा किसी प्रकार की काट छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे।
23. बोलीदाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
24. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध निगम क़ी राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
25. मैने उपरोक्त शर्तो को पढकर,सुनकर एवं समझकर हस्ताक्षर किये है, उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर